फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम दीगोद

घाँसीलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा 88, 89 RT Act. नं. [illegible] सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/5/18	वाद वादी की ओर से गये वकील श्री ओम प्रकाश सोनी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जावे। पत्रावली दिनांक 23/5/18 को लोक अदालत कैम्प पोलाईकलां पेश हो।	
23/5/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प पोलाईकलां में पेश हुई। वादी स्वयं मजमें आम में उपस्थित। वादी को सुना गया। वादी ने कथन किये कि विवादित आराजी वाके ग्राम पोलाईकलां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 676 रकबा 0.19 हे0, ख0नं0 677 रकबा 3.47 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.66 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 व मृतक छीतरलाल के पिता का नाम बद्री के स्थान पर मांगीलाल दर्ज किया जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावें।	घासीलाल

पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्राप्त हुआ, जो शा0मि0 किया गया। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। [illegible] वर्तमान में छीतरलाल घांसीलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	2078/4509 1
	तुलसीराम पुत्र बद्री सदी घींसीबाई पुत्रियां बद्री के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य जमाबंदी सं0 2026–29 एवं 2034–37 में ख0नं0 493, 594 की 23 बीघा 3 बिस्वा भूमि मांगीलाल बेटा नारायण के नाम पर दर्ज थी। दौरानें सेटलमेंट जमाबंदी सं0 2043–62 में उक्त भूमि के नवीन ख0नं0 676 रकबा 0.19 हे0 व ख0नं0 677 रकबा 3.47 कायम कर छीतरलाल घांसीलाल तुलसीराम पुत्र .... बद्री, सदी, घींसी बाई पुत्रियां............ गोपाली बेवा जाति मीणा के नाम से दर्ज कर दी गई। उक्त खाते में बद्री का नाम अंकित कर दिया गया, जबकि पूर्व रिकॉर्ड अनुसार इस खाते में बद्री नामक कोई प्रविष्टि अंकित नहीं थी। दौराने सेटलमेंट उक्त प्रविष्टि अंकित की गई है। जो पूर्व प्रविष्टि नुसार त्रुटिपूर्ण है। जो दुरूस्तनीय है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम पोलाईकलां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 676 रकबा 0.19 हे0, ख0नं0 677 रकबा 3.47 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.66 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टि नाम (वल्दियत) बद्री के स्थान पर मांगीलाल दर्ज किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।